न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी

पीठासीन अधिकारी :– **बिन्दुबाला राजावत,** R. A. S.

प्रकरण सं. 14/2018 ई. रे. जी.सी.एम.एस. नम्बर 2018/00021

1.श्री मोहन पिता लक्ष्मण डांगी निवासी फाचर तह. बड़ीसादड़ी

– वादी

बनाम

1.श्री धनपतमल पुत्र मिलापचन्द मेहता, आयु 61 वर्ष, निवासी जोधपुर, हाल मुकाम ओपसरा बंद गली, मार्फत चम्पालाल कोठारी का मकान, नया बाजार, ब्यावर, जिला अजमेर, राजस्थान।

2.श्री भूमिधारी तहसीलदार, बड़ीसादड़ी, जिला – चित्तौड़गढ़ (राज.)

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज. टेनेन्सी एक्ट

उपस्थिति :–

1. श्री प्रेमसिंह मेहता, अधिवक्ता–वादीगण की ओर से
2. एक पक्षीय कार्यवाही–प्रतिवादीगण के विरुद्ध

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 12.10.23

वादीगण द्वारा दिनांक 18.01.2018 को इस न्यायालय में धारा 88 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तहत वादपत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया की देवदा ग्राम, पटवार हल्का बिनायका, तहसील बड़ीसादड़ी में खाता सं. 110 की खसरा सं. 258,259,280,325 कुल किता 4, कुल रकबा 8.03 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित हैं, जिसके सेटलमेन्ट से पूर्व पुराने आराजी नं. 191/2 मीन, रकबा 17 बीघा रहे है। आराजी सं. 192 मी. रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा रहे है। वादपत्र की चरण सं. एक में वर्णित आराजी भूमि में से वादी के ने 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि तत्कालिन खातेदार मिलापचन्द पिता भागचन्द मेहता महाजन से 75/– पिच्चहत्तर रूपये के प्रतिफल पर दिनांक [illegible]959 को क्रय की और इस आशय का बिकाव नामा वाद पत्र के साथ [illegible] किया है, खरिदी गई भूमि के निम्न पड़ौस बताये है पूर्व– देवा डांगी का खेत, पश्चिम– श्री [illegible] डांगी का खेत, उत्तर–बड़ीसादड़ी बिनायका जाने की पगडण्डी, दक्षिण– देवा [illegible] का खेत उक्त पड़ौस [illegible] की खरीदशुदा भूमियो पर वादी ने क्रय कर कब्जा होना बताते हुए अपनी खातेदारी में घोषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.10.25 09:44:57 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़

किये जाने की प्रार्थना की है। पुर्व में कानुन की जानकारी नही होने से खातेदारी में दर्ज नही होना बताया है, विक्रेता खातेदार की मृत्यु होना बताया और पुत्र धनपत मल प्रतिवादी सं. एक को एकमात्र विधिक वारिस बताते हुए वाद पत्र प्रस्तुत किया हैं।

वाद पत्र दर्ज होने के उपरांत प्रतिवादी धनपतमल एवं भुमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी को इस न्यायालय द्वारा सुनवाई के सम्मन जारी किये गए सम्मन विधिवत् तामील होने के उपरांत भी प्रतिवादीगण इस न्यायालय में उपस्थित होने में व जवाब प्रस्तुत करने में असफल रहे है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश होकर उनका कोई जवाब या ऐतराज नही होने से तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही रही है। पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की जा कर वादी मोहन , निर्मल कुमार भण्ड़ारी ने मुख्य परीक्षण के शपथपत्र पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में दोनो बिकाव नामे, मिलान खसरा अभिलेख, चालु खाते की जमाबंदी आदि प्रदर्शित कराए है,दोनो बिकाव नामें पर बेचानकर्ता के हस्ताक्षर को गवाह निर्मल कुमार ने पारिवारिक रिश्तेदार होने से पहचाना है। अपने पिता सोहनचन्द्र भण्ड़ारी द्वारा बिकावनामा लिखा जाना अपनी साक्ष्य में जाहिर किया है और यह भी बताया कि मिलापचन्द जो इस गवाह के रिश्तेदार हैं, के प्रतिवादी धनपतमल ही एकमात्र विधिक वारिस है।

वकील वादीगण की एक तरफा बहस सुनी गई, उपलब्ध दस्तावेजात एवं पत्रावली का विश्लेषण किया गया। वादीगण द्वारा वक्त खरीद यानी वर्ष 1959 से पुरानी आराजी सं. 191/1 मी एवं 191/2 मी में से कुल 2.10 बिघा जमीन पर काबिज होकर काश्त करना बताया हैं, जिसके सेटलमेन्ट उपरांत नये नम्बर कमशः 258,259,280,325 होना मिलान खसरा अभिलेख से प्रकट है। बिकाव का दस्तावेज यानि विक्रय पत्र एक सौ रूपये से कम विक्रय प्रतिफल यानी 75/- रूपये हेतु निष्पादित होने से अनिवार्य पंजीयन की श्रेणी में नही आता है और उसकी विधि मान्यता प्रश्नगत नहीं रहती है। वादी के अभिवचन एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध प्रतिवादीगण के द्वारा उपस्थित होकर लेश मात्र भी खण्ड़न नही किया गया हैं। ऐसी सुरत में वादी की साक्ष्य अखण्ड़ित रहती है और उस पर अविश्वास का कोई आधार प्रतीत नहीं होता हैं। इस प्रकार वाद पत्र को डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.10.25 09:44:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़

–:: आदेश ::–

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाकर देवदा राजस्व ग्राम की नई खसरा सं. 258,259,280,325 कुल किता 4, कुल रकबा 8.03 हैक्टेयर कृषि भूमि में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का वादी मोहन पिता लक्ष्मण डांगी निवासी फाचर को खातेदार घोषित किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावें ।

आदेश आज दिनांक 12/10/23 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(बिन्दुबाला राजावत) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी

उप खण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़

उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट बड़ीसादड़ी चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.10.25 09:44:57 IST
Reason: SelfAttested